भारत सरकार,गृह मंत्रालय
कार्यालय-कमाण्डेंट
57वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, सितारगंज
जनपद-उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

Azadi Ka Amrit Mahotsav

पत्रांक संख्या.- थपलियाल खेड़ा /पायोनियर/57वीं/वाहिनी/स.सी.ब./20/- 5193 दिनांक.25/05/22

सेवा में ,

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी ,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी,(उत्तराखंड)।

विषयः- सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की स्थापना हेतु 0.99 हे० वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक के पत्रांक संख्या-2306 दिनांक-29/03/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमे प्रस्ताव की कमियों के निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था | इसी संबंध में आपको सादर अवगत कराना है की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की स्थापना हेतु प्रस्ताव में कुल 4 बिन्दुओं पर कमियों के निराकरण इस कार्यालय द्वारा किया गया है | जिनका विवरण निम्न है |

क्र० सं.	आपत्ति	प्रतिउतर
01	प्रस्ताव में 1. प्रस्ताव में संलग्न समस्त प्रपत्र / प्रमाण-पत्रों में यथास्थान तिथि अंकित की जाय। (विशेषतः वन अधिकार से सम्बन्धित प्रपत्रों एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग -1 आदि)	प्रस्ताव में संलग्न समस्त प्रपत्र / प्रमाण-पत्रों में यथास्थान तिथि अंकित कर दी गयी है	पत्र के साथ सलग्न है	(अनुलग्नक "क से घ")
02	. बारचार्ट अभी भी स्पष्ट नहीं है, प्रस्तावित चौकी एवं पथ निर्माण के अनुसार बारचार्ट तैयार किया जाय।	प्रस्तावित चौकी एवं पथ निर्माण के अनुसार बारचार्ट पुनः तैयार किया गया है। पत्र के साथ सलग्न है| (अनुलग्नक "च")
03	प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पथ / मार्ग निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका उल्लेख प्रस्ताव में संलग्न समस्त प्रमाण-पत्र /प्रपत्रों एवं परियोजना के नाम में भी किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत सीमा चौकी की स्थापना के साथ पथ निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परियोजना के मदवार विवरण में दिया गया है पत्र के साथ सलग्न है| (अनुलग्नक "छ")
04	प्रस्तावित स्थल हाथी रिजर्व घोषित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें हाथी, टाईगर आदि वन्यजीव विचरण करते हैं, इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	इस सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है जो पत्र के साथ सलग्न है| (अनुलग्नक "ज")

इस सम्बन्ध में इस पत्र के साथ अनुलग्नक 04 मूल प्रतियां आपके कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है | इस हेतु आपका सहयोग वाछनीय होगा |

भवदीय

(हस्ताक्षर) 25/5/22

(बृज पाल सिंह नेगी)
कमान्डेंट
57वीं वाहिनी स० सी० बल सितारगंज (उ०खं०)

अनुलग्नक -'क' (2)

प्रारूप -2

भाग -1 (प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम :- सशस्त्र सीमा बल ,की सीमा चौकी थपियालखेड़ा की स्थापना के लिए 0.99 है० वन भूमि स्थानान्तरण का प्रस्ताव ।

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण । :- भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपियालखेड़ा की स्थापना हेतू हल्द्वानी वन प्रभाग रेंज शारदा टापू संख्या 44 प्रस्तावित 0.99 है० वन भूमि की आवश्कता ।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओ को दर्शाने वाला मैप । :- संलग्न है ।

ग) परियोजना की लागत । :- रु. 56,00,000/-

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य । :- अन्य वैकल्पित भूमि उपलब्ध होने के कारण जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 14

ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) :- हल्द्वानी वन प्रभाग के शारदा रेंज शारदा टापू संख्या 44 पर सीमा चौकी की स्थापना देश की सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने में सहायता मिलेगी ।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है । :- सीमा चौकी के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त होगा ।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- — सीमा चौकी की स्थापना

3. परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण , यदि कोई है :- नहीं ।
   - क) परिवारों की संख्या
   - ख) अनुसूचित जाती /जनजाति के परिवारों की संख्या
   - ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के जाने के लिये)

   (क–ग) रिक्त ।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम ,1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दंड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ -साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) :- लागू नहीं ।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों का ब्यौरा । :- लागू नहीं है ।

दिनांक 10/8/21 स्थान ...सितारगंज

(हस्ताक्षर) भूपाल सिंह

हस्ताक्षर प्रयोक्ता एजेंसी

कमांडेण्ट
Commandant
57 वाहिनी स.सी.ब.
57 Bn SSB Sitarganj

अनुलग्नक-'ख'

प्रारुप-3

भाग-2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	**सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थपलीयाल खेड़ा की स्थापना के लिए 0.99 है० वन भूमि स्थानान्तरण का प्रस्ताव।**
(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चम्पावत
(iii) जिला वन प्रभाग	हल्द्वानी
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	0.99 है०
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः	आरक्षित वन
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः	
(i) वन का प्रकार	आरक्षित
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.01 से 0.02
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न है। (पृ॰सं-32)
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	प्रस्तावित क्षेत्र में 1 गूहेल प्रजाति का वृक्ष राशि जिसका पातन नहीं किया जायेगा, तथा प्रस्तावित स्थल के आस-पास 100 वृक्षों का रोपण किया जायेगा। (संलग्न- पृ॰सं॰ 69 से 72)
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूवैज्ञानिक की आख्या संलग्न है। (पृ॰ सं॰- 59 से 62)
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	शून्य
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	नहीं है।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	प्रस्तावित क्षेत्र में हाथी, बाघ, सुअर इत्यादि।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	संख्या- 1777/1 (2) - व० ग्रा० वि०/2002-19 (9)/2002 भारत सरकार एव वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या-7-2-100 (पी०ई०) दिनांक-14.02.2002 के द्वारा हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी का सम्पूर्ण क्षेत्र "शिवालिक ऐलीफेण्ट रिर्जव" के अन्तर्गत घोषित है।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं है।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे दे	नहीं।
22.. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	प्रमाण पत्र
23.. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	–
24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)	नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही	नहीं
(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं)	नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	लागू नहीं
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)।	
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृश्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)।	
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।	हाँ!
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

स्थान : हल्द्वानी

तरीख : 27-09-2021

(राम कृष्ण मौर्य)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग

(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

अनुलग्नक -'ग'

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-Champawat

Dated--13/08/2021

No---

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.99 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of SSB (name of user agency) for BOP (purpose for diversion of forest land) in..... Champawat district falls within jurisdiction of....... village (s) in Tanakpur Tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.99 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above

Signature

(Full name and Official seal of the District Collector)

अनुलग्नक -'ख'

49

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Champawat (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ..... district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. I.A.S deputy commissioner, on dated at time ....at Champawat in which application claiming rights in Sharda.. area measuring .0.99... hect for the construction of ..BOP.......... forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Tanakpur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Champawat

Date : 13/08/2021

Deputy commissioner-cum-chairman
District level Committee
जिलाधिकारी
चम्पावत

अनुलग्नक- 'च'

प्रारूप -17

परियोजना का नाम - सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थपियालखेड़ा की स्थापना एवं लिंक मार्ग हेतु 0.99 है० वन भूमि स्थानान्तरण का प्रस्ताव |

<u>बार-चार्ट</u>

कि०मी०

कि०मी०

प्रस्तावित भूमि	कार्य योजना	प्रस्तावित क्षेत्रफल	वन क्षेत्र से सम्बंधित	भूमि का माप
वन भूमि	मार्ग निर्माण हेतु	0.27 हे०	शारदा टापू न० 44	1350 मी० X 02 मी०= 2700 वर्ग मीटर
वन भूमि	सीमा चौकी स्थापना हेतु	0.72 हे०	शारदा टापू न० 44	40 X180 मी०= 7200 वर्ग मीटर
कुल वन भूमि		0.99 हे०	शारदा टापू न० 44	कुल भूमि = 9900 वर्ग मीटर 0.99 हे०

आरक्षित वन भूमि	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	--
वन पंचायत भूमि	--
नाप भूमि	--

हस्ताक्षर
प्रयोक्ता एजेंसी
कमांडेण्ट
Commandant
57 वाहिनी स.सी.ब. सितारगंज
57 Bn SSB Sitarganj

(प्रवेन्द्र सिंह बिष्ट)
वन क्षेत्राधिकारी
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर
वन क्षेत्राधिकारी
शारदा वन क्षेत्र, टनकपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
शारदा टनकपुर

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग

अनुलग्नक-'द्द' ①

प्रारूप-32

परियोजना का नाम - सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थपियालखेड़ा की स्थापना एवं लिंक मार्ग हेतु 0.99 है० वन भूमि स्थानान्तरण का प्रस्ताव।

भवन निर्माण/जल विधुत परियोजनाओ हेतु ले-आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा।

<u>सलग्न है।</u>

हस्ताक्षर

प्रयोक्ता एजेंसी

कमांडेण्ट
Commandant
57 वाहिनी स.सी.ब. सितारगंज
57 Bn SSB Sitarganj

LAY OUT PLAN OF BOP AND LINK ROAD THAPIYAL KHERA

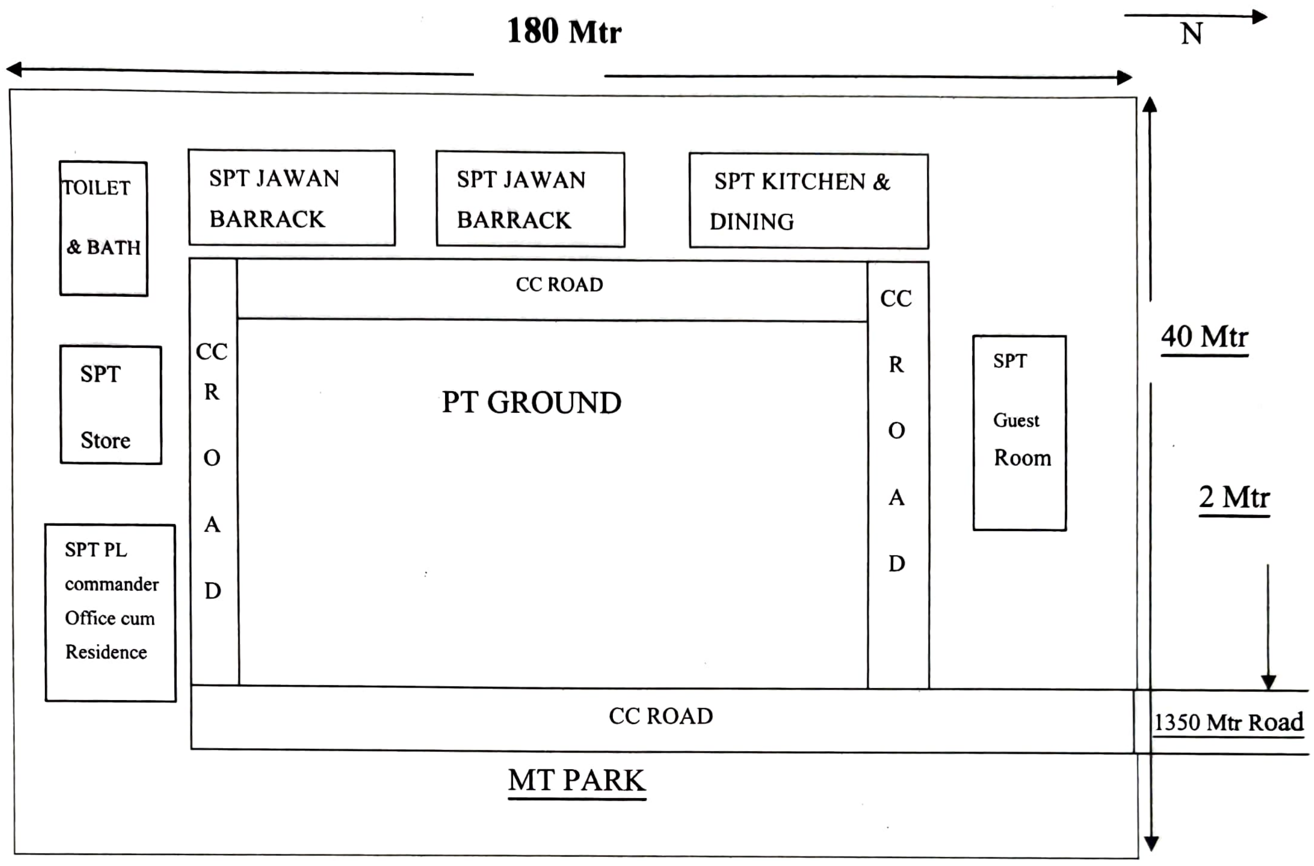

SPT JAWAN BARRACK	:	206 SQM
SPT JAWAN BARRACK	:	206 SQM
SPT KITCHEN DINNING	:	134.67 SQM
SPT PL COMDR RESIDENCE	:	94.31 SQM
SPT GUEST ROOM	:	96 SQM
TOILET & BATH BLOCK	:	38.40 SQM
SPT STORE BUILDING	:	52.20 SQM
CONNECTING ROAD	:	1350Mtr X 2 Mtr = 2700 Sqm

USER AGENCY
कमाण्डेंट
Commandant
57 वाहिनी स.सी.ब. सितारगंज
57 Bn SSB Sitarganj

अनुलग्नक-'ज' 1/2

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखण्ड

[illegible] ई-मेल- cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 3030 /12-1 देहरादून दिनांक 23 मई 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय :- सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की स्थापना हेतु 0.99 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2569/12-1 दिनांक 06 मई 2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्नक के रूप में सशस्त्र सीमा बल की 'सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा' की स्थापना हेतु आप द्वारा इस कार्यालय को भेजा गया अनापत्ति प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाता है।

संलग्नः-यथोपरि।

हल्द्वानी वन प्रभाग
पत्रावली संख्या 12-1
क्रम सं० 8032
पंजीकृत सं०
दिनांक 23.05.2022

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

23/5/22

परियोजना का नाम- सशस्त्र सीमा बल की चौकी थपलियाल खेड़ा की स्थापना हेतु 0.00 हे० वन-भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना कि स्थापना हाथी रिजर्व क्षेत्र के अन्तर्गत है। हाथी रिजर्व क्षेत्र में परियोजना की स्थापना से वन्य जीवों के विचरण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आयेगी। उक्त परियोजना भारत-नेपाल सीमा के निकट है जिससे क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

Dr. Parag Madhukar Dhakate
Chief Wildlife Warden
Uttarakhand

([illegible])
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी